RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 01 / 2024

अपीलांटगण–

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री ग्राम पंचायत समदड़ी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत **धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश** दिनांक **17.11.1972 जो नामान्तरकरण सं. 313 दिनांक 01.06.1974 को तहसीलदार सिवाना (वर्तमान तहसीलदार समदड़ी) द्वारा पारित किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री राजकीय पैरोकार उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11.06.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 352 रकबा 24.10 बीघा के तहसीलदार सिवाना (वर्तमान तहसीलदार समदड़ी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.1972 व नामान्तरकरण सं. 313 दिनांक 01.06.1974 के विरूद्ध दिनांक 08.10.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा की भूमि खसरा नं. 352 रकबा 24.10 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन नाडी राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार सिवाना ने अपने आदेश क्रमांक / राजस्व / 72 / 635 दिनांक 17.11.1972 के जरिये अप्रार्थी को उक्त ग्राम समदड़ी के खसरा संख्या 352 रकबा 24.10 भूमि गैर मुमकिन नाडी के बजाय गैर मुमकिन आबादी दर्ज बिना जॉच भूमि का आवंटन कर दिया। तहसीलदार सिवाना को गैर मुमकिन आबादी के नियमन का

जिला कलक्टर
बालोतरा

क्षेत्राधिकार नहीं था। वर्तमान खसरा संख्या 613/352 रकबा 3.6422 हैक्टयर भूमि में से 5 बीघा भूमि खाली पड़ी है। उक्त खसरे में एक प्याउ, दो कमरे, कुछ भूमि पर आवासीय मकान व सार्वजनिक मंदिर, धर्मशाला ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन तथा बिजली घर बना हुआ हुआ है। प्रार्थी ने यह रेफरेंस आवेदन पत्र धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर राजस्व रेकर्ड में किये गये सभी इन्द्रजों में से 5.00 बीघा भूमि जो मौके पर खाली पड़ी/सम्पूर्ण में से 5.00 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त कर गैर मुमकिन आबादी से गैर मुमकिन नाडी में दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का निवेदन किया।

3. रेफरेन्स आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी द्वारा जवाब में निवेदन किया कि उक्त भूमि पर मौजा समदड़ी में पूर्व में दर्ज मामाजी की नाडी को गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तित किया गया था। वर्तमान में उक्त क्षेत्र अत्यधिक जल भराव होने के कारण यहां संभवतया आबादी का रहवास नहीं हो सकता है। इस संबंध में आंशिक 5.00 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी से गैर मुमकिन नाडी में परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। उक्त खसरा की किस्त परिवर्तन करने हेतु अप्रार्थी सहमत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए उक्त स्थान जल भराव होने के कारण गैर मुमकिन आबादी से गैर मुमकिन नाडी में दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का फरमाया जावे।

5. राजकीय पैरोकार दौराने बहस कथन किया कि मौजा समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा की भूमि खसरा नं. 352 रकबा 24.10 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन नाडी राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार सिवाना ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/72/635 दिनांक 17.11.1972 के जरिये अप्रार्थी को उक्त ग्राम समदड़ी के खसरा संख्या 352 रकबा 24.10 भूमि गैर मुमकिन नाडी के बजाय गैर मुमकिन आबादी दर्ज बिना जॉच भूमि का आवंटन कर दिया। तहसीलदार सिवाना को गैर मुमकिन आबादी के आवंटन का क्षेत्राधिकार नहीं था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की है, जिसका खातेदारी की घोषणा अथवा आवंटन आदि नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान

जिला कलक्टर
बालोतरा

बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये है। वर्तमान खसरा संख्या 613/352 रकबा 3.6422 हैक्टयर भूमि में से 5 बीघा भूमि खाली पड़ी है। उक्त खसरे में एक प्याउ, दो कमरे, कुछ भूमि पर आवासीय मकान व सार्वजनिक मंदिर, धर्मशाला ग्राम सेवा सहकारी समिति भवन तथा बिजली घर बना हुआ हुआ है। प्रार्थी ने यह रेफरेंस आवेदन पत्र धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर राजस्व रेकर्ड में किये गये सभी इन्द्रजों में से 5.00 बीघा भूमि जो मौके पर खाली पड़ी/सम्पूर्ण में से 5.00 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त कर गैर मुमकिन आबादी से गैर मुमकिन नाडी में दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का निवेदन किया।

6. अप्रार्थी द्वारा जवाब में निवेदन किया कि उक्त भूमि पर मौजा समदड़ी में पूर्व में दर्ज मामाजी की नाडी को गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तित किया गया था। वर्तमान में उक्त क्षेत्र अत्यधिक जल भराव होने के कारण यहां संभवतया आबादी का रहवास नहीं हो सकता है। इस संबंध में आंशिक 5.00 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी से गैर मुमकिन नाडी में परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। उक्त खसरा की किस्त परिवर्तन करने हेतु अप्रार्थी सहमत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए उक्त स्थान जल भराव होने के कारण गैर मुमकिन आबादी से गैर मुमकिन नाडी में दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का फरमाया जावे।

7. हमने प्रार्थी की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार समदड़ी ने यह आवेदन पत्र धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर मौजा समदड़ी, तहसील समदड़ी भूमि खसरा नं. 613/352 रकबा 3.6422 हैक्टयर भूमि, जो मौके पर खाली पड़ी सम्पूर्ण में से 5.00 बीघा भूमि के आवंटन गैर मुमकिन आबादी से निरस्त कर गैर मुमकिन नाडा दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा समदड़ी में अवस्थित भूमि खसरा नं. 352 रकबा 24.10 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय से गैर मुमकिन नाडी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी, ओरण आदि

जिला कलक्टर
बालोतरा

की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। गलत आवंटन के फलस्वरूप पारित नामान्तरकरण गलत होने से निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी ने भी कथन किया कि वर्तमान उक्त क्षेत्र अत्यधिक जल भराव होने के कारण यहां संभवतया आबादी का रहवास नहीं हो सकता है। इस संबंध में गैर मुमकिन आबादी से गैर मुमकिन नाडी में परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। उक्त खसरा की किस्म गैर मुमकिन आबादी से गैर मुमकिन नाडी में परिवर्तन करने हेतु अप्रार्थी सहमत है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये है। तहसीलदार सिवाना (समदड़ी) ने इस संबंध में कोई जॉच नहीं कर बिना कोई रिकोर्ड तथा कानून के सभी प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी के पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 17.11.1972 को ग्राम समदड़ी, तहसील समदड़ी के खसरा नं. 352 करबा 24.10 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 613/352 रकबा 3.6422 हैक्टयर) भूमि आवंटन निरस्त हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।

9. आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा